

क्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 8.9.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

8/9/23

पत्रावली पेश हुई वकील सार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन तामिल हेतु शर्क में रजिस्ट्र एडी से पेश किये गये थे। रजिस्ट्र एडी प्राप्त हुई जिते शागप किया गया। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक कर आवाजें डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के भादेश दिये जाते हैं वकील सार्थी का शागप स्वीकार किया जाकर विनियम प्रकसे लिखा जाकर शागप किया गया। पत्रावली फँदल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 157/23 प्रोपत्र

1- श्री बेगीलाम शं. श्री कपलाल बाहाण निवासी-बाहाणो की सरदेही तहसील आराजी

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री अविगाथ कुमार शं. श्री हरालाल व्यास निवासी-बाहाणो की सरदेही तहसील आराजी (प्रखंड निवासी सलंग)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक:- 08.09.23

::आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिसानिया.....पटवार हल्का हिसानिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1135.....कुल किता 01.....रकबा 0.1138 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.08.23.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम हिसानिया.....पटवार हिसानिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1135.....कुल किता 01.....रकबा 0.1138 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक 3 आलगास गो 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की गौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

लेखि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा